न्यायालय मुंसिफ, डुमरॉव, बक्सर।

इजराय वाद सं0–05/2017

13.04.2023

उभय पक्ष की हाजिरी है। मदीउन सं0–5 ता 8 के तरफ से आदेश–21 नियिम–26 अंतर्गत दिनांक–19.10.2022 को दाखिल आवेदन प्रचालित किया गया। मदीउन का कथन है कि उनके द्वारा नंबरी अपील वाद सं0–34 सन् 1979 पारित जजमेंट एवं डिक्री के खिलाफ द्वितीय अपील नंबर 136 सन् 2016 माननीय उच्च न्यायालय पटना में दाखिल किया है जो विचाराधीन है। इसके अलावे जिस डिक्री के आधार पर मौजूदा इजराय वाद दाखिल किया गया है उस डिक्री में डिक्रीदार का नाम ही नहीं है अगर किसी हालत में नाम सुधरवा कर पुनः जजमेंट एवं डिक्री दाखिल करते हैं तो उसके विरूद्ध उसे आगे जाने का मौका जरूरी हो जाएगा। ऐसी हालत में मौजूदा इजराय वाद की कार्यवाही को न्यायहित में स्थगित रखना निहायत जरूरी है। अतः उपरोक्त परिस्थिति में वाद की अग्रिम कार्यवाही को स्थगित रखने की कृपा की जाए।

वाद अभिलेख का अवलोकन किया तथा उभय पक्षों को सुना। वाद अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि निर्णीत ऋणि के द्वारा मुकदमा की कार्यवाही में बिलंब करने हेतु जान बूझकर यह आवेदन दिया गया है। मुकदमा काफी पुराना है। ऐसी परिस्थिति में वाद की कार्यवाही को स्थगित रखना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि निर्णीत ऋणि को पहले ही काफी लंबा समय दिया जा चुका है तथा अभी और से अपील न्यायालय का कोई कार्यवाही स्थगन आदेश अभी तक इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जबकि उक्त आवेदन भी लगभग 6 माह पुराना है। अतः निर्णीत ऋणि के द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक–19.10.2022 खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक–19.04.2023 वास्ते दिनांक–09.05.2019 के आवेदन पर सुनवाई।

लेखापित

मुंसिफ, डुमरॉव